

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर  
क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/५०८२

दिनांक: ८/३/१९

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम कार्मिक                                      | पदनाम                     | कहाँ से                      | कहाँ को                    |
|---------|--|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1       | श्री उदय सिंह चौधरी                              | कनिष्ठ लिपिक              | अलवर<br>(स्थानान्तरणधीन)     | नगर                        |
| 2       | श्री राजेश मित्तल                                | वरिष्ठ सहायक              | जहाजपुर<br>(स्थानान्तरणधीन)  | कैथून                      |
| 3       | भैवरी गुर्जर                                     | फायरमैन                   | हनुमानगढ़                    | खाटूश्यामजी                |
| 4       | श्री अरविंद कुमार                                | सफाई कर्मचारी (फावडेवाला) | किशनगढ़                      | अजमेर                      |
| 5       | कान्ता/बुद्धाराम                                 | सफाई कर्मचारी             | मेडतासिटी                    | नागौर                      |
| 6       | श्रीमती पुजा<br>देवी / श्री प्रशान्त<br>चांवरिया | सफाई कर्मचारी             | लाडनूं                       | चूरू                       |
| 7       | श्रीमती सुनिता गुर्जर                            | सफाई कर्मचारी             | जयपुर                        | एपीओ निदेशालय              |
| 8       | श्री सोरभ गर्ग                                   | सहायक राजस्व निरीक्षक     | विराटनगर<br>(स्थानान्तरणधीन) | एपीओ निदेशालय              |
| 8       | श्री मोहित शर्मा                                 | कनिष्ठ लिपिक              | अलवर                         | एपीओ निदेशालय              |
| 9       | श्री राधेश्याम छीपा                              | सहायक राजस्व निरीक्षक     | देशनोक                       | लाडनूं                     |
| 10      | श्री रघुनाथ चारण                                 | कनिष्ठ लिपिक              | नोखां                        | लाडनूं                     |
| 11      | श्री ओमप्रकाश स्वामी                             | स्वास्थ्य निरीक्षक        | छापर                         | लाडनूं                     |
| 12      | श्री सूरजमल सैन                                  | सफाई कर्मचारी             | नैनवां                       | लाडनूं                     |
| 13      | श्री मक्खन लाल आचार्य                            | मुख्य स्वच्छता निरीक्षक   | बीकानेर                      | नगर विकास न्यास<br>बीकानेर |
| 14      | श्री कुलवंत धवन                                  | लिपिक ग्रेड द्वितीय       | भिवाडी<br>(स्थानान्तरणधीन)   | खेरथल                      |
| 15      | श्री श्रवण लाल तेली                              | वरिष्ठ सहायक              | आसीन्द                       | एपीओ निदेशालय              |
| 16      | श्री अनीता देवी भीना                             | फायरमैन                   | राजगढ़(अलवर)                 | बांदीकुई                   |
| 17      | श्रीमती गुड्डी रानी/ श्री<br>मिथुन चांवरिया      | सफाई कर्मचारी             | संगरिया                      | बीकानेर                    |

उपरोक्त सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश द्वारा अपने वर्तमान पद से स्वतः कार्यमुक्त माने जाएंगे तथा बिना कोई कार्यग्रहण काल का उपयोग किए अविलम्ब अपने नवीन पद पर कार्यग्रहण करेंगे।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यवित्रित जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

05. वर्ष 2018 में लाटरी के हारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण  
नहीं भाना जावे।

06. उक्त कार्मिकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

51—

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 8/3/19

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/4073-4135

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. सचिव, नगर विकास न्यास बीकानेर।
5. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, .....
6. उपनिदेशक (कौशिकी) स्थानीय निकाय विभाग .....
7. संबंधित कर्मचारी.....।
8. सुरक्षित पत्रावली।

8  
(अलका मीणा)

उप निदेशक (प्रशासन)